ग्राम पंचायत लड़भड़ोल , विकास खण्ड चौंतड़ा, जिला मण्डी (हिमाचल प्रदेश) के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016

भाग—एक

1 **(क) प्रस्तावनाः—**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC- (5) C (15) LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत लड़भड़ोल, विकास खण्ड चौंतड़ा, जिला मण्डी के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के लेखाओं का अंकेक्षण स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थेः—

प्रधानः—

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री सुधीर शर्मा	01.04.13 से 22.1.16
2	श्रीमती अनु देवी	23.01.16 से 31.03.16

सचिवः—

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री जोगिन्द्र सिंह	01.04.13 से 31.3.16

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः— ग्राम पंचायत लड़भड़ोल के लेखाओं अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः—

क्र0सं0	पैरा सं0	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	(लाखों में)
1	5	रोकड़वही एवं बैंक खातों के अन्तिम शेष में भारी अन्तर	9.05
2	7	अनुदान को रोकड़ वही में दर्ज न करना	11.95
3	10	पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष	1.17
4	13	औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय	5.25
5	14	आय का सम्भावित दुर्विनियोजन	0.09
6	15	पंचायत प्रधान द्वारा पंचायत निधि का अस्थाई दुर्विनियोजन	1.00
7	16	बैंक खाते से की गई निकासी को रोकड़ वही में दर्ज न करना	0.35
8	18	भुगतान से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	0.25

2 वर्तमान अंकेक्षणः—

ग्राम पंचायत लड़भड़ोल , विकास खण्ड चौंतड़ा, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री विपुल कुमार सूद, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 14.12.2016 से 20.12.2016 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्नलिखित मासों का चयन किया गयाः—

वित्तीय वर्ष	आय की जाँच के लिए चयनित माह	व्यय की जाँच के लिए चयनित माह
2013—14	03/2014	12/2014
2014—15	10/2014	12/2014
2015—16	04/2015	03/2016

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण ग्राम पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख पर आधारित है। अंकेक्षण को प्रदत्त किसी गलत एवं अपूर्ण सूचना अथवा सूचना उपलब्ध न करवाने की अवस्था में इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः—

ग्राम पंचायत लड़भड़ोल , विकास खण्ड चौंतड़ा, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश के अवधि 01.04.2013 से 31.3.2016 तक के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹6000/— बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 174/2016 दिनांक 20.12.2016 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत लड़भड़ोल से अनुरोध किया गया है।

4 वित्तीय स्थितिः—

ग्राम पंचायत लड़भड़ोल द्वारा उपलब्ध करवाये गये अभिलेख एवं प्रस्तुत सूचनाओं के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 04/2013 से 03/2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न विवरणानुसार थीः—

(क) स्वः स्त्रोत व विभिन्न अनुदान

वर्ष	अथशेष (₹)	प्राप्ति (₹)			व्यय (₹)		अन्तिम शेष (₹)
		स्वस्त्रोत	विभिन्न अनुदान	योग (₹)	स्वस्त्रोत	विभिन्न अनुदान	
2013—14	489176.70	16415	431000	936591.70	15471	1134947	(—) 213826.30
2014—15	(—)213826.30	86245	1144922	1017340.70	55697	1108120	(—)1464476.30
2015—16	(—)146476.30	42830	1576131	1472484.70	23807	939263	509414.70

दिनांक 31.3.2016 को अन्तशेष

रोकड़ वही अनुसार	₹509414.70
पास बुक अनुसार	₹1414705.16

(ख) मनरेगा

वर्ष	अथशेष (₹)	प्राप्ति (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2013–14	195224	643489	8387713	833708	5005
2014–15	5005	756849	761854	757756	4098
2015–16	4098	212076	216174	212076	4098
		दिनांक 31.03.2016 को अन्तिम शेष			
		रोकड़ बही अनुसार			₹4098
		पास बुक अनुसार			₹48

(ग) वाटर शैड

वर्ष	अथशेष (₹)	प्राप्ति (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2013–14	258124	9105	267229	260046	7183
2014–15	7183	945	8128	21000	(–)12872
2015–16	12872	146658	133786	109850	23936
		दिनांक 31.03.2016 को अन्तिम शेष			
		रोकड़ बही अनुसार			₹23936
		पास बुक अनुसार			₹56072

नोटः– ग्राम पंचायत की वित्तीय स्थिति का सम्पूर्ण विस्तृत विवरण एवं मनरेगा व वाटर शैड की बैंक समाधान विवरणी **परिशिष्ट 1 से 3** में दी गई है।

5 स्वः स्त्रोत व विभिन्न अनुदान की रोकड़ वही एवं बैंक खातों के अन्तिम शेष ₹9.05 लाख का अन्तर

ग्राम पंचायत लड़भड़ोल द्वारा अंकेक्षण में प्रस्तुत स्व स्त्रोत व विविध अनुदान से सम्बधित रोकड़ वही एवं उससे सम्बधित बैंक खाते की जांच में पाया गया कि दिनांक 31.03.2016 को उक्त रोकड़ वही अनुसार अंतिम शेष ₹509414.70 (परिशिष्ट–1) थी किन्तु इससे सम्बधित बचत खाता संख्याः 31510100003 (हि0 प्र0 राज्य सहकारी बैंक, लड़भड़ोल) में दिनांक 31.03.2016 को ₹1414705.16 जमा थी एवं इस प्रकार पंचायत की रोकड़वही एवं बचत खाते में जमा शेष में दिनांक 31.03.2016 को ₹905290 का अन्तर था।

पंचायत की रोकड़वही के अवलोकन में यह भी पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में रोकड़वही का बैंक खाते के साथ मिलान नहीं किया गया था, जबकि हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़वही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। पंचायत द्वारा रोकड़वही व बैंक खातों का मिलान न करना व उक्त रोकड़वही तथा बैंक खाते में ₹905290.46 का भारी अन्तर पाया जाना एक गम्भीर अनियमितता एवं आपनिजनक है। अतः पंचायत की रोकड़वही एवं बैंक खाते का शीघ्र मिलान किया जाए एवं कृत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए। इसके अतिरिक्त भविष्य में पंचायत की रोकड़वहियों का सम्बन्धित बैंक खातों से यथासमय मिलान सुनिश्चित किया जाए।

6 रोकड़ बहियों का रख–रखाव नियमानुसार न करनाः–

ग्राम पंचायत की रोकड़ बहियों के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का रख रखाव नियमानुसार नहीं किया जा रहा है। पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों में न तो अथशेष व अन्तिम शेष से सम्बन्धित प्रविष्टियाँ दर्ज की जा रही है एवं न ही पंचायत की आय/प्राप्त अनुदानों से सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रविष्टियाँ रोकड़ बहियों में दर्ज की जा रही है। पंचायत द्वारा केवल मात्र प्राप्त आय एवं व्यय को ही रोंकड़ वही में ही दर्ज कर उसका शेष शून्य कर दिया जा रहा है, जो न केवल अनियमित व आपत्तिजनक है अपितु लेखांकन के सिद्धान्तों के विरूद्ध भी है, क्योंकि नियमानुसार रोकड़ बही के अथशेष में प्राप्त आय को जमा करने उपरान्त एवं व्यय की प्रविष्टियों को उससे कम किया जाता है तथा प्राप्त अन्तिम शेष को आगामी कार्यदिवस/पृष्ठ/माह के अथशेष के रूप में दर्शाया जाता है, किन्तु पंचायत द्वारा रोकड़ बही के लेखन में नियमानुसार अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की पूर्ण अवहेलना की जा रही है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट करते हुये रोकड़ बहियों का रख रखाव हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 7 एवं 10 तथा अन्य सम्बन्धित नियमों अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों में अथशेष व अन्तिम शेष न दर्शाये जाने के कारण पंचायत की वित्तीय स्थिति (अंकेक्षण अवधि) दर्शाने/बनाने हेतु दिनांक 01.04.2013 को पंचायत के सम्बन्धित रोकड़ बही के बचत खाते में जमा शेष को वर्ष 2013–14 के अथशेष के रूप में दर्शाया गया है।

अतः पंचायत की अंकेक्षण अवधि की रोकड़ बहियों को नियमानुसार लिखा जाना सुनिश्चित करते हुये भविष्य में भी नियमों की अनुपालना सुनिश्चित की जाए तथा कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

7 अनुदान ₹11.95 लाख को रोकड़ बही में दर्ज न करनाः–

ग्राम पंचायत लड़भड़ोल की रोकड़वही स्व स्त्रोत व विभिन्न अनुदान व उससे सम्बन्धित बचत खाता संख्याः 31510100003 (हि0 प्र0 राज्य सहकारी बैंक लड़भड़ोल) की जांच में पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार ₹1195284.96 के अनुदान को रोकड़वही में दर्ज नहीं किया गया हैः

क्र0सं0	बैंक में जमा की दिनांक		प्राप्त अनुदान विवरण
1	03–04–2013	96000.00	दर्ज नहीं
2	04–04–2013	2000.00	चैक संख्या 889340 द्वारा जमा
3	23–04–2013	18480.00	तेरहवां वित्त आयोग
4	26–04–2013	2600.00	होशियार सिंह द्वारा जमा
5	26–04–2013	150000.00	खण्ड विकास अधिकारी से प्राप्त
6	23–04–2013	45240.00	मानदेय
7	05–07–2013	26999.00	पंचायती राज विभाग द्वारा

8	22—08—2013	2000.00	चैक संख्याः 317330 द्वारा
9	06—09—2013	171771.00	सैस
10	07—09—2013	54894.00	ट्रांसफर द्वारा
11	17—09—2013	30358.00	पंचायती राज विभाग द्वारा
12	14—10—2013	1644.00	पंचायती राज विभाग द्वारा
13	23—11—2013	28200.00	खण्ड विकास अधिकारी से प्राप्त
14	—11—2013	17250.00	मानदेय
15	—12—2013	4050.00	चैक संख्याः 94694 द्वारा
16	—12—2013	4950.00	मानदेय चौकीदार
17	—12—2013	37500.00	ट्रांसफर द्वारा
18	—01—2014	315.00	जिला पंचायत अधिकारी से प्राप्त
19	—03—2014	84372.00	खण्ड विकास अधिकारी से प्राप्त
20	—03—2014	17250.00	मानदेय
21	—04—2014	28128.00	खण्ड विकास अधिकारी से प्राप्त
22	—06—2014	4050.00	चैक संख्याः 146350 द्वारा
23	06—09—2014	4050.00	चैक संख्याः 146441 द्वारा
24	10—09—2014	6000.00	खण्ड विकास अधिकारी से प्राप्त
25	10—09—2014	29710.00	तेरहवां वित्त आयोग
26	12—02—2014	20288.00	तेरहवां वित्त आयोग
27	21—01—2015	5550.00	मानदेय चौकीदार
28	17—03—2015	6390.00	मानदेय चौकीदार
29	09—04—2015	50000.00	खण्ड विकास अधिकारी से प्राप्त
30	14—09—2015	8100.00	चैक संख्याः 52084 द्वारा
31	21—09—2015	52140.00	ट्रांसफर द्वारा
32	22—09—2015	2500.00	चैक संख्याः 220673 द्वारा
33	20—10—2015	138.15	ट्रांसफर द्वारा
34	20—10—2015	138.15	ट्रांसफर द्वारा
35	06—11—2015	75000.00	खण्ड विकास अधिकारी से प्राप्त
36	28—12—2015	25.65	खण्ड विकास अधिकारी से प्राप्त
37	06—01—2016	279.66	ट्रांसफर द्वारा
38	08—02—2016	4050.00	चैक संख्याः 52116 द्वारा
39	28—03—2016	23250.00	ट्रांसफर द्वारा
	योगः	**1195284.96**	

ग्राम पंचायत द्वारा इतनी अधिक संख्या एवं के अनुदानों को रोकड़ वही में दर्ज न करना एक गम्भीर अनियमितता एवं पंचायत के नियंत्रण अधिकारी की कार्य के प्रति लापरवाही को परिलक्षित करता है। क्योंकि प्राप्त अनुदान यों को रोकड़वही में दर्ज न करने के कारण न केवल पंचायत की वास्तविक वितीय स्थिति परिलक्षित नहीं होती है, अपितु प्राप्त अनुदान यां जिस उद्धेश्य हेतु प्राप्त हुई है उस हेतु भी व्यय नहीं की जा सकती है।

अतः इस गम्भीर अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट करते हुये इन यों को यथाशीघ्र पंचायत की रोकड़वही में दर्ज किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

8 निर्धारित सीमा से अधिक हस्तगत राशि का रखनाः—

ग्राम पंचायत लड़भड़ोल की रोकड़ बही में पाया गया कि पंचायत द्वारा "परिशिष्ट–4" में दिये गये विवरणानुसार हस्तगत राशि को निर्धारित सीमा से अधिक रखा गया था, जो कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम

10 (3) के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है। अतः नियमों के विपरीत हस्तगत को रखने का औचित्य स्पष्ट करते हुये भविष्य में नियमानुसार हो हस्तगत का रखा जाना सुनिश्चित किया जाए।

9 बजट प्राक्कलन तैयार न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म–11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट प्राक्कलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

10 पंचायत राजस्व की ₹1.17 लाख वसूली हेतु शेषः–

पंचायत की स्वः स्त्रोतों से प्राप्त आय का सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख एवं पंचायत द्वारा उपलब्द करवाई गई सूचना की जांच करने पर पाया गया कि निम्नविवरणानुसार दिनांक 31.03. 2016 को पंचायत के राजस्व की ₹116900 की वसूली हेतु शेष थीः–

1 गृहकर

वर्ष	अथशेष (₹)	माँग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतु शेष (₹)
2013–14	23550	14950	38500	12050	26450
2014–15	26450	14950	41400	00	41400
2015–16	41400	14950	56350	00	56350

2 मोबाईल टावर

वर्ष	अथशेष (₹)	माँग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतु शेष (₹)
2013–14	31500	7000	38500	00	38500
2014–15	38500	7000	45500	4000	41500
2015–16	41500	7500	49000	00	49000

3 दुकानों का किराया

वर्ष	अथशेष (₹)	माँग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतु शेष (₹)
2013–14	00	2700	2700	2100	600
2014–15	600	4800	5400	1050	4350
2015–16	4350	7200	11550	00	11550

अतः उपरोक्त राजस्व की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये उक्त बकाया की वसूली शीघ्र करना सुनिश्चित की जाए।

11 पंचायत द्वारा अनुदान यों से सम्बंधित अभिलेख का रखरखाव न करनाः–

ग्राम पंचायत लड़भड़ोल द्वारा अनुदान की प्राप्ति, उनके व्यय एवं शेष से सम्बंधित अभिलेख का रखरखाव नहीं किया गया है, जबकि नियमानुसार उक्त अभिलेख का रखरखाव किया जाना अपेक्षित था। पंचायत के नियंत्रण अधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध मे प्रमाण पत्र "परिशिष्ट–5" दिया गया है कि उक्त अभिलेख का रखरखाव पंचायत द्वारा पूर्व में भी नहीं किया जा रहा था।

पंचायत द्वारा अनुदानों की प्राप्ति एवं उनके आगामी निपटारे से सम्बंधित अभिलेख का रखरखाव न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमिन व आपतिजनक है, जिस बारे में स्थिति स्पष्ट करते हेए उक्त अभिलेख का रखरखाव सुनिश्चित किया जाए व कृत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

12 निर्माण कार्यों के प्राक्कलन से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में जाँच हेतु प्रस्तुत न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000/– व इससे अधिक के कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किये बिना नहीं किया जा सकता था। अभिलेख की जाँच में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में लाखों रूपये की का व्यय विभिन्न विकासात्मक कार्यों में किया गया है, किन्तु इन समस्त निर्माण कार्यों की प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन से सम्बन्धित अभिलेख जांच हेतु वर्तमान अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों पर व्यय की गई यह अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान निर्माण कार्यों पर व्यय की गई इन समस्त यों के प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति एवं प्राक्कलन से सम्बन्धित अभिलेख जाँच हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित किये जाएं ताकि इन समस्त व्ययों की तदानुसार जाँच की जा सके।

13 औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ही ₹5.25 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4), व 67 (5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा परिशिष्ट–6 के अनुसार ₹524721 के स्टॉक/स्टोर का क्रय अंकेक्षण अवधि के चयनित मासों में औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ही किया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को

सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में स्टॉक/स्टोंर का क्रय नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

14 ₹0.09 लाख कि आय का संभावित दुर्विनियोजन :–

ग्राम पंचायत लड़भड़ोल की रोकड़वही एवं रसीद बुकों की जांच में पाया गया कि पंचायत के नियंत्रण अधिकारी द्वारा निम्नविवरणानुसार विभिन्न स्त्रोंतो की आय प्राप्त की गई थी :

क्र0सं0	दिनांक	रसीद संख्या	(₹)	टिपण्णी
1	05.2013	955701 से 955800	6355	माह 05.2013 में विभिन्न व्यक्तियों से गृहकर की प्राप्त की गई।
2	01.01.14	956858	150	उक्त कुल प्राप्त ₹1050 के विरुध
3	01.01.14	956862	450	₹750 ही जमा करवाये गये एवं शेष
4	03.04.14	956866	450	₹300 जमा नहीं करवाये गये
5	01.01.14	956861	200	
6	11.08.14	956867	300	दुकान का किराया, माह 08.2014
7	09.10.14	956868	600	दुकान का किराया, माह 09.2014 व 10.2014
8	10.12.14	956869	750	दुकान का किराया, माह 06.2014 से 10.2014
9	10.12.14	956871	600	दुकान का किराया, माह 01.2015 से 02.2015
10	10.12.14	956873		खाली रखी गई है।
11	26.03.16	956875	250	विवरण नही
	योग		10105	

अभिलेख की जांच में पाया गया कि पंचायत के नियंत्रण अधिकारी द्वारा उक्त वर्णित कुल ₹10105 में से ₹750 ही दिनांक 10.04.2014 (रोकड़वही पृष्ठ संख्या–84) को जमा करवाये गये थे एवं शेष ₹9355 को न तो रोकड़वही मे दर्ज किया गया था एवं न ही इस राशि को सम्बंधित कर्मचारी द्वारा उक्त राशि को रोकड़वही मे दर्ज न करना व बैंक में जमा न करवाने से स्पष्ट है कि उक्त राशि को दुर्विनियोजित कर लिया गया है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए, अन्यथा इसकी वसूली दण्ड ब्याज सहित सम्बंधित व्यक्ति से की जाए एवं कृत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए। इसके अतिरिक्त भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृति रोकने हेतु आन्तरिक जांच प्रणाली को सुद्रढ़ किया जाए।

15 ग्राम पंचायत प्रधान द्वारा ₹1.00 लाख का अस्थाई दुर्विनियोजन करनाः–

ग्राम पंचायत लड़भड़ोल की स्वस्त्रोत व विभिन्न अनुदान से सम्बंधित रोकड़वही की जांच में पाया गया कि रोकड़वही के पृष्ठ संख्याः 078 में बाउचर संख्याः 61 दिनांक 31.12.2013 द्वारा ₹ 100000 चैक संख्याः174529 दिनांक 20.12.2013 द्वारा प्रधान श्री सुधीर शर्मा को निर्माण कार्य सामुदायिक भवन महामाया, भड़ोल हेतु अग्रिम रुप में दी गई थी।

जांच में पाया गया कि पंचायत प्रधान द्वारा उक्त को 31.12.203 से 29.03.2015 तक इस्तगत रखकर दिनांक 30.03.2015 को रसीद संख्याः 956872 द्वारा पंचायत निधि मे वापिस जमा

करवा दिया गया था एवं इस प्रकार तत्कालीन पंचायत प्रधान द्वारा 15 माह तक इस को इस्तगत रखकर इसका अस्थाई दुर्विनियोजन किया गया।

अतः ₹100000 के अस्थाई दुर्विनियोजन बारे स्थिति स्पष्ट करते हुये इस पर दण्ड ब्याज की गणना करने उपरान्त उसको बसूली सम्बंधित तत्कालीन प्रधान से की जाए व पंचायत निधि में जमा करवा कर कृत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

16 बचत खातो से की गई निकासी ₹0.35 लाख को रोकड़बही में दर्ज न करनाः–

ग्राम पंचायत लड़भड़ोल की मनरेगा व वाटरशैड की रोकड़बहियों एवं उनसे सम्बंधित बैंक बचत खातों के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत के नियंत्रण अधिकारी द्वारा निम्नविवरणानुसार राशि की निकासी बैंक बचत खातों से की गई थी, किन्तु इस निकासी से सम्बंधित किसी भी प्रकार की प्रविष्टियां रोकड़वही में नहीं की गई थी।

क्र0सं0	रोकड़वही का विवरण	खाता संख्या व बैंक का नाम	दिनांक	चैक संख्या	₹
1	मनरेगा	31510105403 (हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक, लड़भड़ोल	24.05.2013	1059426	1820
			25.06.2013	1059430	2680
			15.07.2013	1059435	4800
			15.07.2013	1059436	4893
			19.07.2013	1059440	4800
			25.07.2013	1059443	4002
			26.07.2013	1059445	1950
			01.08.2013	1059446	6072
			07.08.2013	10594447	1932
2	वाटर शैड	31510109148 (हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक, लड़भड़ोल	20.08.2013	5186324	2000
				योग	**34949**

पंचायत के नियंत्रण अधिकारी द्वारा उक्त निकासियों से सम्बंधित व्यय बाउचर भी जांच हेतु उपलब्ध नहीं करवाये गये।

पंचायत द्वारा उक्त निकासियों को न तो रोकड़वही मे दर्शाना एवं न ही इन व्ययो से सम्बंधित व्यय बाउचरो को जांच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत करने से स्पष्ट है कि सम्बंधित कर्मचारी द्वारा उक्त राशि का दुर्विनियोजन किया गया प्रतीत होता है, जिस बारे मे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा इस की वसूली दण्ड ब्याज सम्बंधित से की जाए तथा पंचायत निधि में जमा करवाने के अतिरिक्त अनुपालना से यथाशीघ्र अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

17 मजदूरी के रुप में ₹0.12 लाख के अधिक भुगतान बारेः–

ग्राम पंचायत की मनरेगा रोकड़वही एवं अन्य सम्बंधित अभिलेख की जांच में पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्नविवरणानुसार मस्ट्रोलों में अभिलेखन। गलत गणना एवं माप पुस्तिका में दर्ज कार्य प्रगति से अधिक राशि का भुगतान मजदूरों के रुप में किया गया हैः

(क) वर्ष 2013–14 में बाउचर संख्याः 56 दिनांक 10.12.2013 द्वारा मस्ट्रोलो क्रमांक 3884, 3885 के अन्तर्गत (अवधि 01.12.2013 से 15.12.2013) ₹20976 का भुगतान मजदूरों को 152 कार्य दिवस का ₹ 138 प्रति कार्य दिवस की दर से किया गया है। जांच में पाया गया कि उक्त मस्ट्रोलों द्वारा कुल कार्य दिवस केवल 145 ही बनते है एवं इस प्रकार 7 कार्य दिवस का भुगतान ₹ 966 (7X138) अधिक किया गया है। इसके अतिरिक्त उक्त मस्ट्रोलों के विरुद्ध की गई कार्य प्रगति अनुसार मजदूरों कों मजदूरी के रुप में अधिकतम ₹12348 का ही भुगतान किया जा सकता था (माप पुस्तिका : 5856, पृष्ठ 33 से 36) अतः कार्य प्रगति से अधिक भुगतान की गई मजदूरी ₹8628 की वसूली सम्बंधित से की जानी अपेक्षित है।

(ख) **निर्माण कार्यः** चैक डैम टीफर नाला हेतु बाउचर संख्याः 59 दिनांकः 11.12.2013 (मस्ट्रोल न0ः 3541,3542) अवधिः16.11.2013 से 30.11.2013 हेतु ₹21114 का भुगतान 153 कार्य दिवसों के लिए ₹138 प्रति दिवस की दर से किया गया है। जांच में पाया गया कि मस्ट्रोल संख्याः 3542 के क्रम संख्याः 3 की उपस्थिति में अभिलेखन कर उन्हे दिनांक 19.11.2013 से 30.11.2013 तक पहले अनुपस्थित दर्शाया गया था किन्तु बाद में उपस्थित दर्शा कर ₹ 1656 (12X138) का अधिक भुगतान किया गया है, जिसकी वसूली सम्बंधित व्यक्ति से की जानी अपेक्षित है।

(ग) **बाउचर संख्याः** 62 दिनांकः 11.12.2013 द्वारा निर्माण कार्य : RWH सुधीर कुमार हेतु (मस्ट्रोल संख्याः 3547 अवधिः 16.11.2013 से 30.11.2013) ₹4554 का भुगतान किया गया है। जांच में पाया गया कि क्रम संख्याः 1 में दर्ज अनुपमा की उपस्थिति अभिलेखन कर दिनांक 28.11.2013 से 30.11.2013 तक A से P की गई है एवं इस प्रकार उन्हें ₹414 (3X138) की अधिक मजदूरी मस्ट्रोल में गलत रुप से उपस्थित दर्शा कर दी गई है, जिसकी वसूली सम्बंधित व्यक्ति से की जानी अपेक्षित है।

अतः उपरोक्त क से ग में दर्शाये गये प्रकरणानुसार कुल अधिक भुगतान ₹ 11664 बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा इसकी वसूली सम्बंधित से यथाशीघ्र करने उपरान्त कृत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

18 ₹0.25 लाख के भुगतान से सम्बंधित अभिलेख अंकेक्षण में उपलब्ध न करवानाः–

ग्राम पंचायत द्वारा स्व स्त्रोत व विभिन्न अनुदान की रोकड़वही में बाउचर संख्याः शुन्य दिनांकः 26.12.2013 (रोकड़वही पृष्ठ संख्याः 078)द्वारा ₹25000 का भुगतान श्री चेत राम को इन्दिरा आवास योजना के अर्न्तगत दूसरी किस्त के भुगतान के रुप में चैक संख्याः 174527 दिनांकः शून्य द्वारा किया गया दर्शाया है। किन्तु पंचायत के नियंत्रण अधिकारी द्वारा उक्त भुगतान से सम्बंधित बाउचर एवं अन्य वांछित अभिलेख जैसे प्रार्थी द्वारा दिया गया प्रार्थना पत्र एवं भुगतान प्रति सम्बंधी रसीद आदि को वर्तमान अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया।

वर्तमान अंकेक्षण में उक्त भुगतान से सम्बंधित किसी भी प्रकार का अभिलेख उपलब्ध न होना/न करवाये जाने के कारण उक्त भुगतान को उचित नहीं ठहराया जा सकता है। अतः इससे सम्बंधित व्यय बाउचर व अन्य अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाए अन्यथा इस राशि की वसूली सम्बंधित व्यक्ति से दण्ड ब्याज सहित सुनिश्चित करते हुये अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत कराया जाए।

19 ₹0.02 लाख का सम्भावित दुर्विनियोजनः–

ग्राम पंचायत की स्व स्त्रोत व विभिन्न अनुदान की रोकड़वही की जांच मे पाया गया कि वर्ष 2014–15 में चैक संख्याः 178416 दिनांक 01.12.2014 द्वारा बैंक से ₹6000 आहरित की गई

थी एवं उक्त राशि का भुगतान (₹2000+₹2100+₹995) कुल ₹5095 बाउचर संख्याः 6465 व 66 द्वारा दर्शाया गया है।

उक्त भुगतान में से ₹995 का भुगतान बाउचर संख्याः 66 दिनांक 01.12.2014 द्वारा डाक टिकटों हेतु व्यय (डाक रज्रिस्टर अनुसार) दर्शाया गया है, किन्तु अंकेक्षण में जांच हेतु डाक रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके अभाव में उक्त भुगतान को नियमित/नियमानुसार नहीं ठहराया जा सकता। इसके अतिरिक्त आहरित ₹6000 में से व्यय उपरान्त शेष ₹905 को न तो रोकड़वही में हस्तगत के रुप में दर्शाया गया है एवं न ही इसका भुगतान दर्शाया गया हैं। पंचायत की रोकड़वही अनुसार इसी अवधि में पृष्ठ–97 के अनुसार ₹452 हस्तगत जिसे भी आगामी पृष्ठ पर नही ले जाया गया है।

अतः इस प्रकार कुल ₹2352 (₹995+₹905+₹452) सम्बंधित कर्मचारी द्वारा दुर्विनियोजित कर ली गई प्रतीत होंती है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा इस राशि की वसूली दण्ड ब्याज सहित सम्बंधित से करने उपरान्त पंचायत निधि में जमा करवाई जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत कराया जाए।

20 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व अन्य विभिन्न नियमों के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	रजिस्टर का प्रकार/विवरण	प्रारूप	सन्दर्भित नियम
1	विविधानों के लिए रजिस्टर	1	12 (1), 27 (1)
2	रसीद बहियों का स्टॉक रजिस्टर	4	13 (5)
3	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
4	प्रकीर्ण माँग व संग्रहण रजिस्टर	10	33, 77 (4)
5	बजट प्राक्कलन	11, 12	37, 38
6	अनुउपभोज्य वस्तुओं का स्टॉक रजिस्टर	25	72 (1)
7	लेखन सामग्री से सम्बंधित उपयोग वाली वस्तुओं का स्टॉक रजिस्टर	26	72 (1) ख
8	मुद्रित सामग्री का स्टॉक रजिस्टर	27	72 (1) (ग)
9	तकनीकी जाँच पड़तालों और तकनीकी स्वीकृति आकलन का रजिस्टर	31	96 (1)

21 प्रत्यक्ष सत्यापनः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं करवाया गया है जिसके बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाए तथा कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

22 लघु आपति विवरणिकाः—

यह अलग से जारी नहीं की गई है।

23 निष्कर्ष :—

लेखों के रखरखाव में सुधार के अतिरिक्त पंचायत की आन्तरिक जांच प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु विशेष पग उठाये जाने की आवश्यकता है।

हस्ता/—
(ज्ञान चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
0177—2620046

पृष्ठांकन संख्याः— फिन(एल0ए0)एच(पंच)15 (xi) 20/2017—खण्ड—1—3405—3408 दिनाँक 19.06.2017
शिमला—171009,
प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः—

पंजीकृत
1. सचिव, ग्राम पंचायत लड़भड़ोल , विकास खण्ड चौंतड़ा, जिला मण्डी, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी, मण्डी, जिला मण्डी, हि0प्र0
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड चौंतड़ा, जिला मण्डी, हि0प्र0

हस्ता/—
(ज्ञान चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
0177—2620046